प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषयः- जनपद गाजियाबाद, में VVPAT मशीन के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1068/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017, दिनांक-23 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-04/2019/486/61-2019-67/3-2017 (नि0-3), दिनांक-07 अगस्त, 2019 तथा शासनादेश संख्या-09/2021/413/61-2021-283/2015, दिनांक-28 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेशों दिनांक-07 अगस्त, 2019 एवं दिनांक 28 जून, 2021 द्वारा रू० 282.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त के अंतर्गत कुल रू० 1,91,12,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 21.12.2021 द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में आपके उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक-23 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत जनपद गाजियाबाद में VVPAT मशीन के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू० 91,12,000/- (रूपये इक्यानबे लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 एवं अन्य सुसंगत आदेशों तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मूल शासनादेश दिनांक 07.08.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि अवमुक्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा।

(4) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-17/2021/832(1)/61-2021-283/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक , कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।

(6) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।

(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in